मुंबई कृषि उपज बाजार समिति एवं अन्य

बनाम

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड व अन्य

(सिविल अपील सं. 3042/2008)

निर्णय की तिथि 29 अप्रैल, 2008

[एस. बी. सिन्हा व लोकेश्वर सिंह पंटा, जे. जे.]

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1963- धारा 34ए व 62-अधिनियम की अनुसूची में कुछ वस्तुओं को जोड़ने वाली अधिसूचना जारी की- बाजार समिति द्वारा बाजार शुल्क व पर्यवेक्षण शुल्क एकत्र करना शुरू किया-संग्रह को चुनौति दी गई-उच्च न्यायालय ने बाजार शुल्क के संग्रह को बरकरार रखा लेकिन पर्यवेक्षण शुल्क या उस पर अर्जित ब्याज के संग्रह को अस्वीकार कर दिया- अपील में माना गया, उच्च न्यायालय का आदेश न्यायोचित है- पर्यवेक्षण शुल्क देय नहीं थे- लेवी को उचित ठहराने का दायित्व राज्य सरकार पर था न कि बाजार समिति पर-अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य मूलभूत तथ्यों या गणना के आधार को साबित करने में असफल रहा- समतुल्यता का सिद्धांत- पुनर्स्थापन का सिद्धांत।

शुल्क -बाजार शुल्क और पर्यवेक्षण शुल्क में अन्तर

महाराष्ट्र राज्य ने एक अधिसूचना द्वारा महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1963 से जुड़ी अनुसूची में कुछ वस्तुओं को जोडा। 'वनस्पति' उन वस्तुओं में से एक थी। अपीलार्थी-बाजार समिति ने सभी अधिसूचित कृषि उत्पादों पर मंडी शुल्क के साथ पर्यवेक्षण शुल्क भी वसूलना शुरू कर दिया। कथित तौर पर प्रतिवादी सं० 1 ('वनस्पति' में एक व्यापारी) ने स्वयं को इसके अंतर्गत पंजीकृत नहीं करवाया था।

प्रतिवादी सं० 01 व 2 ने रिट पिटीशन दायर की और तर्क दिया कि वे किसी भी बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी बाजार शुल्क अदा करने के लिए उतरदायी थे परंतु अपीलार्थी समिति पर्यवेक्षण शुल्क या उस पर अर्जित ब्याज एकत्र करने की हकदार नहीं थी। इस वजह से वर्तमान अपील दायर की गई ।

न्यायालय द्वारा वर्तमान अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया कि-

1.1 आक्षेपित निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं है। बाजार शुल्क और पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली एक दूसरे से भिन्न है। जहां बाजार क्षेत्र में किए गए लेनदेन पर बाजार शुल्क देय है, वहीं पर्यवेक्षण शुल्क वसूलने की शक्ति राज्य में निहित है। इस उद्देश्य के लिए उसे एक सामान्य या विशेष आदेश जारी करना होगा। बाजार क्षेत्रों की निगरानी के उद्देश्य से राज्य द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी अपेक्षित है। जब महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम की धारा 34ए में निहित पूर्व-आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तभी ऐसे बाजार या बाजार क्षेत्र में ऐसी उपज खरीदने वाले व्यक्ति से ऐसे शुल्क की वसूली का प्रश्न उठ सकता है।[पैरा 8 और 16] [138-एच; 139-ए; 135-जी; 136-ए]

1.2 उद्योग के एक वर्ग के खर्च पर नियोजित पर्यवेक्षी कर्मचारियों पर होने वाले खर्च को वसूल करने की शक्ति कोई सामान्य शक्ति नहीं है। अधिनियम के तहत ही विशिष्ट तौर पर इसका प्रावधान हो सकता है। जब क़ानून यह आदेश देता है कि पर्यवेक्षण की लागत लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी तो यह कर की वसूली नहीं है। यह अनुबंध का हिस्सा हो सकता है। विधि अथवा विधि के तहत बनाए गए वैध नियमों के तहत इस खर्च को अदा करने का दायित्व हो सकता है। इसके लिए लागत का निर्धारण आवश्यक है। इस लागत का बंटवारा किया जा सकता है। इसकी गणना अथवा

वसूली राज्य के पक्ष में अन्यायपूर्ण संवर्धन का प्रभाव रखने वाले तरीके से नहीं की जा सकती हालाँकि, इसका गणितीय रूप से सटीक होना आवश्यक नहीं है क्योंकि सभी लाइसेंसधारियों या उनमें से एक वर्ग के दायित्व को ध्यान में रखते हुए इस लागत की वसूली की जाती है। किसी भी स्थिति में किसी प्रकार की गणना की आवश्यकता होगी। [पैरा 11 और 12] [137-ए, बी, सी]

1.3 उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि राज्य द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की जा रही थी। अगर कोई सेवा प्रदान नहीं की जा रही थी तो कोई शुल्क भी नहीं लिया जा सकता था। [पैरा 13] [137-डी]

जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य 2006 (7) एस. सी. सी. 241-अनुसरण किया गया ।

1.4 शुल्क लगाने की बुनियाद समतुल्यता का सिद्धांत है। पर्यवेक्षण शुल्क जैसे वैधानिक प्रभारों की वसूली इसी सिद्धांत पर आधारित मानी जानी चाहिए। इसे साबित करने का दायित्व राज्य पर था। जहां राज्य स्वयं मूलभूत तथ्यों को सामने लाने में सफल नहीं हो पाया है वहां शुल्क की वसूली के लिए महज राज्य के एजेंट के रूप में कार्यरत वैधानिक प्राधिकारी के तौर पर नियुक्त अपीलांट यह दावा नहीं कर सकता कि ऐसा कोई शुल्क देय है। महाराष्ट्र राज्य इस न्यायालय के समक्ष नहीं है। राज्य उस स्थिति में पर्यवेक्षण की लागत वसूल कर सकता है जब उसके द्वारा पर्यवेक्षण का खर्च उठाया जा रहा हो। इसलिए लेवी को उचित ठहराने का बोझ राज्य पर था। राज्य के स्तर से जारी किया गया कोई सामान्य या विशेष आदेश रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। यह ज्ञात नहीं है कि पर्यवेक्षण शुल्क की गणना किस आधार पर की जा रही थी। पर्यवेक्षी खर्चों की वसूली का कारण किसी तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर आधारित नहीं

है। केवल शक्ति का स्रोत बताया गया है लेकिन शक्ति के प्रयोग के आधार का खुलासा नहीं किया गया है। [पैरा 14 और 15] [138- सी, डी, एफ, जी]

आशीर्वाद फिल्मस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (यू ओ आई) व अन्य 2007 (6) एस.सी.सी 624 -उल्लेख किया गया।

2. जहाँ तक ब्याज के भुगतान का प्रश्न है, यह उसी क़ानून से ही संबंधित होना चाहिए जिस कानून के तहत शुल्क का प्रावधान किया गया है। जहाँ कोई कानून किसी विशेष शुल्क को नियंत्रित करता है तो ऐसे शुल्क पर परिकल्पित एवं देय ब्याज का मसला भी उसी कानून से शासित होना चाहिए। इस मामले में पुनर्स्थापन का सामान्य सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है। [पैरा 17] [139-ए, बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं० 3042/2008

बॉम्बे उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 1341/1998 के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 16.6.2006 से लिया गया ।

रमाकांत पी. भट्ट, वाई. आर. नाइक व राकेश के. शर्मा अपीलार्थी की ओर से।

गोपाल जैन, आर. एन. करंजावाला, माणिक करंजावाला, रूबी सिंह आहूजा, मनु अग्रवाल और आशा गोपालन नायर प्रत्यर्थी की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय एस.बी सिन्हा, जे. द्वारा सुनाया गया-

1. अनुमति दी गई ।

2. अपीलार्थी एक बाजार समिति है जिसका गठन महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1963 (संक्षेप में, 'द एक्ट') के अधीन किया गया है। यहां पहला प्रत्यर्थी खाद्य तेलों और वनस्पति में कारोबार करता है। अधिनियम की धारा 62

के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य ने इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में चीनी, सूखे मेवों, खाद्य तेलों एवं वनस्पति को जोड़ते हुए एक अधिसूचना दिनांक 25.9.1987 जारी की। अपीलकर्ता सं० 1, बाजार समिति ने थोक आधार पर विपणन की जाने वाली सभी अधिसूचित कृषि उपज पर बाजार शुल्क और पर्यवेक्षण शुल्क एकत्र करना शुरू कर दिया। मसालों, सूखे मेवों आदि के संबंध में थोक बाजार को 1.1.1991 से ग्रेटर बॉम्बे से न्यू बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया था जहां अपीलकर्ताओं द्वारा एक विशाल बाजार का निर्माण किया गया था।

3. उक्त अधिनियम के प्रावधानों और अधिसूचना दिनांक 25.9.1987 के लागू होने के बावजूद, प्रत्यर्थियों ने यह दावा करते हुए स्वयं को इस व्यवस्था के तहत पंजीकृत नहीं कराया कि 'वनस्पति' को संलग्न अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। खाद्य तेल का कारोबार करने वाले कुछ व्यापारियों ने थोड़े समय के लिए बाजार शुल्क और पर्यवेक्षण शुल्क के भुगतान से छूट भी प्राप्त कर ली थी हालाँकि दी गई ऐसी छूट वापस ले ली गई।

उक्त अधिसूचना एवं कमेटी के द्वारा वसूल किए जा रहे बाजार शुल्क और पर्यवेक्षी शुल्क की वैधता को चुनौति देते हुए बाॅम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गई।

4. प्रत्यर्थी सं.1 और 2 ने भी वर्ष 1988 में यह तर्क देते हुए रिट याचिकाएं दायर की कि वे किसी भी बाजार शुल्क या पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे।

5. अपने निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.6.2006 के द्वारा उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि उत्तरदाता किसी भी बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे परन्तु उच्च न्यायालय ने यह राय दी कि अपीलार्थी पर्यवेक्षण

शुल्क एकत्र करने का हकदार नहीं था। पर्यवेक्षण प्रभार और उस पर उपार्जित ब्याज राज्य सरकार को देय थे।

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अभिनर्धारित किया कि-

> "इस पिटीशन के दायर करने से पूर्व या इसके लंबित रहने के दौरान पारित किए गए आक्षेपित आदेशों में इस बाबत कुछ भी जाहिर नहीं किया गया है कि पिटीशनरों द्वारा उत्पादित वनस्पति एवं प्रत्यर्थी सं० 01 द्वारा मार्केट यार्ड से भिन्न मार्केट क्षेत्र में विपणन की जा रही वनस्पति के संदर्भ में प्रत्यर्थी सं० 01 कमेटी द्वारा राज्य सरकार को भुगतान किए जा रहे पर्यवेक्षी शुल्क की मात्रा क्या थी। प्रत्यर्थी सं० 01 के मार्केट यार्ड में पिटीशनरों के किसी प्रकार के आउटलेट या डिपो या व्यापार केन्द्र के अभाव में अन्य स्थान पिटीशनरों का परिसर ही हो सकता है क्योंकि स्वीकृत तौर पर अधिनियम की धारा 5 और धारा 30 ए की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रत्यर्थी सं० 01 ने अन्य कोई संग्रहण केंद्र या सहायक बाजार स्थापित नहीं किया है। इसलिए हमारा यह मानना है कि प्रत्यर्थी संख्या1-समिति के पास वर्तमान में याचिकाकर्ताओं से पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली का कोई अधिकार नहीं है एवं उस सीमा तक वर्तमान और विवादित आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं।
>
> ब्याज के भुगतान के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया था:

"हमारे अनुसार रूल 120 के नीचे क्लॉज़ (वाई) मार्केट कमेटी की इस मामले में कोई मदद नहीं करता कि उसे उप-विधि संख्या 14 (ए) के तहत बाजार शुल्क एवं पर्यवेक्षी शुल्क के देरी से हुए भुगतान पर 12 प्रतिशत से लेकर 21 प्रतिशत तक ब्याज वसूलने की शक्ति प्राप्त है। धारा 31 एवं धारा 34ए से लेकर 34सी मात्र दंडात्मक शुल्क की वसूली के संबंध में स्पष्ट प्रावधान करती है तथा उप-विधि संख्या 14 को बाजार क्षेत्र में व्यापार और विपणन की स्थिति को समाहित करते हुए नहीं देखा जा सकता। हमने इस बात का भी संज्ञान लिया है कि बाजार कमेटी द्वारा नोटिस जारी होने पर याचिकाकर्ताओं ने उचित कदम उठाए हैं एवं याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान या वसूली के लिए विवादित आदेश पारित होने से पहले उन्होंने कुछ राशि जमा करा दी है। दोनों ही याचिकाओं में कमेटी की माँग पर राशि जमा कराने में अत्यधिक देरी करने का प्रश्न नहीं है तथा माँग के अनुसार सारभूत तौर पर कुछ ही महीनों में राशियां जमा करा दी गई हैं । आक्षेपित आदेशों में कोई कारण नहीं बताया गया है कि बाजार समिति ने याचिकाकर्ताओं से दंडात्मक शुल्क के स्थान पर ब्याज वसूलना उचित क्यों समझा। इसलिए हम मानते हैं कि प्रत्यर्थी सं० 1 के पास बाजार शुल्क और पर्यवेक्षण शुल्क के विलंबित भुगतान पर 12 प्रतिशत या 21 प्रतिशत तक की किसी भी उच्च दर पर ब्याज वसूलने की कोई शक्ति नहीं है औरअन्यथा भी हस्तगत मामलों में इस तरह के शुल्क की वसूली का कोई औचित्य नहीं है।"

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री भट्ट ने कहा कि यह प्रश्न कि क्या कोई पर्यवेक्षण शुल्क देय था या नहीं, उत्तरदाताओं द्वारा नहीं उठाया गया था और इस वजह से उच्च न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष पर पहुँचते हुए एक गंभीर त्रुटि की है।

7. हालांकि प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल जैन ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है।

8. बाजार शुल्क और पर्यवेक्षण शुल्क की प्रकृति भिन्न भिन्न है। जहाँ बाजार क्षेत्र में किए गए लेनदेन पर बाजार शुल्क देय है वहाँ पर्यवेक्षण शुल्क वसूलने की शक्ति राज्य में निहित है। इस उद्देश्य के लिए उसे एक सामान्य या विशेष आदेश जारी करना होता है। बाजार क्षेत्रों की निगरानी के उद्देश्य से राज्य द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अधिनियम की धारा 34ए में निहित पूर्व-आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर ही बाजार या बाजार क्षेत्र में ऐसी उपज खरीदने वाले व्यक्ति से ऐसे शुल्क की वसूली का प्रश्न पैदा हो सकता है।

बाजार समिति द्वारा पर्यवेक्षी शुल्क की गणना इस प्रकार से की जानी चाहिए कि वह अधिनियम की धारा 31 के तहत शुल्क वसूल करने में सक्षम हो सके। अधिनियम की धारा 34बी की उप-धारा (2) यह प्रावधान करती है कि बाजार समिति द्वारा एकत्र किए गए पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान विहित तरीके से राज्य सरकार को किया जाएगा।

9. अधिनियम एवं इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार संलग्न अनुसूची में वनस्पति को एक आइटम के तौर पर जोड़े जाने का तथ्य विवाद का विषय नहीं है। इस संबंध में दिये गये उच्च न्यायालय के निर्णय को प्रत्यर्थी ने स्वीकार कर लिया

है। उसने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न तिथियों पर बाजार शुल्क की राशि जमा की-

भुगतान की तिथि	जमा की गई राशि
2.03.1998	रु. 4,00,000/-
31.03.1998	रु.18,00,000/-
21.07.1998	रु.62,84,779/-
7.09.1998	रु. 6,000/-"

10. तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यवेक्षण शुल्क लगाने और एकत्र करने की वैधता को प्रत्यर्थी द्वारा विशेष रूप से इस आधार पर चुनौति दी गई थी कि उक्त बाजार क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा प्रदान नहीं की जा रही थी। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के आधार पर यह राय दी कि पर्यवेक्षण की लागत ऐसे आनुषंगिक खर्चों के तौर पर वसूल की जानी थी जो कि राज्य सरकार के द्वारा नियोजित कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार को अदा की जानी थी एवं इसी वजह से ऐसे शुल्क की वसूली से पूर्व एेसी वसूली की परिस्थितियों के अस्तित्व में होने के तथ्य को सामने लाया जाना आवश्यक था। तात्पर्य यह है कि यह बताया जाना आवश्यक था कि सरकार ने बाजार क्षेत्र में कृषि उत्पादों के क्रय एवं विक्रय के पर्यवेक्षण के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया था तथा राज्य सरकार पर्यवेक्षण संबंधी सेवा दे रही थी।

11. उद्योग के एक वर्ग के खर्च पर नियोजित पर्यवेक्षी कर्मचारियों पर होने वाले खर्च को वसूल करने की शक्ति कोई सामान्य शक्ति नहीं है। अधिनियम के तहत ही विशिष्ट तौर पर इसका प्रावधान हो सकता है। जब क़ानून यह आदेश देता है कि

पर्यवेक्षण की लागत लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी तो यह कर की वसूली नहीं है। यह अनुबंध का हिस्सा हो सकता है। विधि अथवा विधि के तहत बनाए गए वैध नियमों के तहत इस खर्च को अदा करने का दायित्व हो सकता है। इसके लिए लागत का निर्धारण आवश्यक है । इस लागत का बंटवारा किया जा सकता है । इसकी गणना अथवा वसूली राज्य के पक्ष में अन्यायपूर्ण संवर्धन का प्रभाव रखने वाले तरीके से नहीं की जा सकती।

12. हालाँकि, वसूली की मात्रा को गणितीय सटीकता पर आधारित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसी लागत सभी लाइसेंसधारियों या उनके एक वर्ग की देनदारी को ध्यान में रखते हुए लगाई जाती है। निश्चित तौर पर इसके लिए कुछ गणना की आवश्यकता होगी।

13. उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि राज्य द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की जा रही थी। यदि कोई सेवा प्रदान नहीं की जा रही है तो कोई शुल्क भी नहीं लगाया जा सकता था। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य [(2006) 7 एससीसी 241] के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि-

> "40. कर सामान्य बोझ के एक भाग के रूप में लगाया जाता है। कर का आधार करदाता की भुगतान करने की क्षमता है। कर लगाने के पीछे का सिद्धांत क्षमता का सिद्धांत है। किसी कर के मामले में, किसी विशिष्ट लाभ की को पहचान नहीं होती है और यदि ऐसी पहचान होती भी है, तो उसे सीधे तौर पर मापा नहीं जा सकता। कर के मामले में किसी विशेष लाभ का मौजूद होना राज्य के कार्य के आनुषंगिक पहलू के तौर पर ही

देखा जा सकता है इसका मूल्यांकन व्यवसाय के कुछ तत्वों जैसे निर्माण, खरीद, बिक्री, उपभोग, उपयोग,पूंजी इत्यादि के आधार पर किया जाता है परन्तु इसका भुगतान राज्य के कार्य की एक पूर्व शर्त नहीं है। यह लाइसेंस का कोई नियम या शर्त नहीं है। एक शुल्क आम तौर पर लाइसेंस की एक शर्त है। कर एक भुगतान है जहां विशेष लाभ, यदि कोई हो, सामान्य बोझ में परिवर्तित हो जाता है।

41. दूसरी ओर, शुल्क "समतुल्यता के सिद्धांत" पर आधारित है। यह सिद्धांत "क्षमता के सिद्धांत" से विपरीत है। शुल्क या प्रतिपूरक कर के मामले "समतुल्यता का सिद्धांत" लागू होता है। शुल्क या प्रतिपूरक कर का आधार एक ही है। शुल्क या प्रतिपूरक कर का मुख्य आधार मात्रात्मक और मापने योग्य लाभ है। कर के मामले में,यदि कोई लाभ भी है तो वह मूलभूत सरकारी कार्य के आनुषंगिक है एवं मूलभूत सरकारी कृत्य से उद्भूत होने वाले ऐसे लाभ परिमेय नहीं है। समतुल्यता के सिद्धांत के तहत, जैसा कि शुल्क या प्रतिपूरक कर पर लागू होता है, एक मात्रात्मक डाटा का संकेत होता है, अर्थात् लाभ की प्रकृत्ति मापे जाने योग्य होती है।"

14. शुल्क लगाने की बुनियाद समतुल्यता का सिद्धांत है। पर्यवेक्षण शुल्क जैसे वैधानिक प्रभारों की वसूली इसी सिद्धांत पर आधारित मानी जानी चाहिए । इसे साबित करने का दायित्व राज्य पर था। जहां राज्य स्वयं मूलभूत तथ्यों को सामने लाने में सफल नहीं हो पाया है वहां शुल्क की वसूली के लिए महज राज्य के एजेंट के रूप में

कार्यरत वैधानिक प्राधिकारी के तौर पर नियुक्त अपीलांट यह दावा नहीं कर सकता कि एेसा कोई शुल्क देय है। महाराष्ट्र राज्य इस न्यायालय के समक्ष नहीं है।

आशीर्वाद फिल्मस बनाम यूनियन आॅफ इंडिया (यू ओ आई) व अन्य [(2007½ 6 एस.सी.सी 624 2008] में यह अभिनर्धारित किया गया है कि-

"यह भी समझने की आवश्यकता है कि सुशासन का एक पहलू उचित कर लगाना भी है।"

15. राज्य उस स्थिति में पर्यवेक्षण की लागत वसूल कर सकता है जब उसके द्वारा पर्यवेक्षण का खर्च उठाया जा रहा हो। इसलिए लेवी को उचित ठहराने का बोझ राज्य पर था। राज्य के स्तर से जारी किया गया कोई सामान्य या विशेष आदेश रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। यह ज्ञात नहीं है कि पर्यवेक्षण शुल्क की गणना किस आधार पर की जा रही थी। पर्यवेक्षी खर्चों की वसूली का कारण किसी तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर आधारित नहीं है। केवल शक्ति का स्रोत बताया गया है लेकिन शक्ति के प्रयोग के आधार का खुलासा नहीं किया गया है।

16. इसलिए, हमारी राय है कि आक्षेपित निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं है।

17. जहां तक ब्याज के भुगतान का प्रश्न है, इसका संदर्भ विधि में ही देखा जाना चाहिए। जहाँ कोई विधि किसी लेवी को नियंत्रित करती है तो उस विधि के तहत परिकल्पित लेवी पर देय ब्याज के क्षेत्र को भी उसी विधि द्वारा साशित होना चाहिए। इस मामले में पुनर्स्थापन का सामान्य सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है।

18. इस मामले में उच्च न्यायालय अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर चुका है, हमें मामले में अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। इसलिए आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील के खर्चे बाबत किसी प्रकार के आदेश के बिना अपील खारिज की जाती है।

के.के.टी

अपील खारिज की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विजय कोचर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।